249

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN TEL. 0141-2227033)

क्रमांकः एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/1958 दिनांकः 16.03.2021

कार्यालय आदेश (आदेश कमांक 29....... / 2021)

विषयः–राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म के ई–पंचायत एप्लीकेशन पर सामजिक अंकेक्षण मानदेय का भुगतान हेतु विकास अधिकारियों को अधिकृत करने के संबंध।

संदर्भः–एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/275 दिनांक 28.01.2021

भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के अनुमोदन अनुसार माह दिसम्बर 2020 से महात्मा गॉधी नरेगा योजना का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु पत्रांक एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/275 दिनांक 28 जनवरी,2021 द्वारा सोसायटी में राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म की व्यवस्था लागू की गई है।

इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ.81(110)SSAAT/Conc. SA Calendar/20–21 /2018 दिनांक 09.12.2020 (आदेश संख्या 11/2020) एवं समसख्यक पत्रांक 201 दिनाक 22.01.2021 द्वारा मानदेय भुगतान हेतु प्रपत्र–8/संशोधित प्रपत्र–8 सोसायटी मुख्यालय जयपुर भिजवाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वर्तमान में ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को मानदेय भुगतान सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा उनके बैंक खातों में सीधे ही हस्तानांतरित (Direct Benefit Transfer-DBT) किया जा रहा है। भुगतान व्यवस्था को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से सोसायटी में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी एवं कार्यकम अधिकारी, मनरेगा को राजस्थान पेमेंट पोर्टल के माध्यम से उनकी पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण मानदेय का भुगतान किये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है।

सभी विकास अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शासन सचिवालय, जयपुर शाखा स्थित सोसायटी के बचत बैंक खाता संख्या 38872762396 से राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म के अन्तर्गत ई–पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान करने हेतु वांछित सूचनाएं/आवेदन निर्धारित प्रप्रत्र राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर अपलोड करेगें जिसके अनुमोदन उपरांत वे मुख्यालय के निर्देशों की पालना करते हुए ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के बैंक खातों में देय मानदेय राशि का भुगतान कर सकेंगे। माह दिसम्बर, 2020 में सम्पादित समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य का भुगतान सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा किया जा चुका/जा रहा है और माह जनवरी, 2021 में सम्पादित समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य का भुगतान (कुछ ग्राम पंचायतो को छोडकर जिनकी सूची विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ संलग्न की जा रही है) संबंधित विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा। भुगतान व्यवस्था संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है।

यह आदेश शासन सचिव,ग्रा.वि.वि. सह सदस्य सचिव, शासी निकाय SSAAT की आई.डी. संख्या 810 दिनांक 15.03.21 एवं श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि. सह अध्यक्ष E.C., SSAAT की आई.डी. संख्या 907 दिनांक 15.03.2021 द्वारा अनुमोदित है।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

क्रमांकः एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/

जयपुर दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद।
10. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म के अन्तर्गत ई–पंचायत एप्सीलकेशन पर सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर के भुगतान करवाने हेतु उचित व्यवस्था स्थापित करने का श्रम करावें।
11. निजी सचिव, निदेशक (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
12. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा (समस्त)
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा जिला परिषद (समस्त)
14. अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म के अन्तर्गत ई–पंचायत एप्सीलकेशन पर ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को मानदेय भुगतान की व्यवस्था निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ विचार विमर्श कर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा किये जाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही सम्पादित करावें।
15. कार्यालयाध्यक्ष एवं लेखाधिकारी (प्रशासन)/लेखाधिकारी (सा.अं.), (SSAAT) वास्ते पालनार्थ।
16. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस बाबत राजस्थान पैमेंट पोर्टल पर सामाजिक अंकेक्षण मानदेय भुगतान की उचित व्यवस्था कराने का श्रम करें ।
17. आहरण वितरण अधिकारी, (SSAAT) वास्ते पालनार्थ।
18. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय वास्ते पालनार्थ।
19. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम (G.B/E.C प्रभारी) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश सहित सुचारु व्यवस्था कायम कराने संबंधी अन्य आदेशों को भी सोसायटी की बैठकों में अवलोकनार्थ एवं यथा आवश्यकता अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करें।
20. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म के अन्तर्गत ई–पंचायत एप्सीलकेशन से संबंधित समस्त व्यवस्थाऐं सुचारु रुप से संचालित कराने हेतु समय–समय पर नियमित रुप से यथा आवश्यकता उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

251

21. प्रोग्रामर, मनरेगा वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
22. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, पंचायत समिति समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें एवं यथा समय सभी संसाधन व्यक्तियों को मानदेय भुगतान करना सुनिश्चित करें।
23. कनिष्ठ लेखाकार समस्त / सूचना सहायक / कैशियर / समस्त कर्मचारी वास्ते पालनार्थ
24. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT